Government of Chhattisgarh
Department of Industries (Information Technology)
Notification

No. 806/PS/SIT/2003/CHOiCE Raipur, 19th August, 2003

छत्तीसगढ़ शासन
उद्योग विभाग (सूचना प्रौद्योगिकी)
अधिसूचना

क्र. 806 / पीएस / एसआईटी / 2003 / चॉइस रायपुर, 19 अगस्त, 2003

In exercise of the powers conferred under section 90 read with section 6 of the Information Technology Act, 2000 (No. XXI of 2000), hereinafter referred to as 'the Act', the Government of Chhattisgarh hereby makes the following rules to carry out Electronic Governance in respect of Notified Citizen Services; to provide for appointment, functions, regulation and liabilities of Authorised Citizen Services Agents; and to provide for matters incidental or related thereto.

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (सन् 2000 का क्र. इक्कीस), जिसे एतस्मिन्पश्चात् 'अधिनियम' कहा गया है, की धारा 90 सहपठित 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ शासन एतद्द्वारा अधिसूचित नागरिक सेवाओं के बारे में इलेक्ट्रॉनिक अधिशासन चलाने के लिए; प्राधिकृत नागरिक सेवा एजेंटों की नियुक्ति, कृत्यों, विनियमन और देयताओं के उपबंध के लिए; एवं आनुषांगिक व संबंधित मामलों के उपबंध के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है।

1. Short title and commencement

1. संक्षिप्त नाम एवं आरंभ

(1) These rules shall be called the Chhattisgarh Citizen Service (Electronic Governance) Rules, 2003.

(1) इन नियमों को छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा (इलेक्ट्रॉनिक अधिशासन) नियम, 2003 कहा जाएगा।

(2) They will come into force from the 19th day of August, 2003.

(2) ये नियम 19 अगस्त, 2003 से प्रवर्तित होंगे।

2. Definitions

2. परिभाषाएं

In these rules, unless the context otherwise requires, –

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(a) 'Appropriate Authority', with its grammatical variations and cognate expressions, in relation to any Notified Citizen Service, means authority charged with decision-making under any State law as respects any matter relating to that service;

(क) 'समुचित प्राधिकारी', उसके व्याकरणिक रूपभेदों एवं सजातीय पदों सहित, से अभिप्रेत है किसी अधिसूचित नागरिक सेवा के संबंध में किसी राज्य विधि के अधीन ऐसी सेवा के संबंध में किसी मामले के बारे में निर्णय लेने हेतु भारसाधक प्राधिकारी;

(b) 'Authorised Citizen Services Agent', hereinafter called 'CHOiCE Agent', means a person so appointed under these rules;

(ख) 'प्राधिकृत नागरिक सेवा एजेंट', जिसे एतस्मिन्पश्चात् 'चॅाइस एजेंट' कहा गया है, से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन प्राधिकृत नागरिक सेवा एजेंट नियुक्त किया गया व्यक्ति;

(c) 'Authorised Citizen Services Centre', hereinafter called 'CHOiCE Centre', means the place from where Notified Citizen Services are provided by a CHOiCE Agent; and, such CHOiCE Centre shall be treated as part of the Principal Office to the extent authorised by the Competent Authority;

(ग) 'प्राधिकृत नागरिक सेवा केंद्र', जिसे एतस्मिन्पश्चात् 'चॅाइस केन्द्र' कहा गया है, से अभिप्रेत है वह स्थान जहां से एक चॅाइस एजेंट द्वारा अधिसूचित नागरिक सेवाएं प्रदत्त की जाती हैं; और, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत सीमा तक ऐसा चॅाइस केन्द्र प्रधान कार्यालय का हिस्सा माना जाएगा;

(d) 'Collector' means the Collector of the district;

(घ) 'कलेक्टर' से अभिप्रेत है जिले का कलेक्टर;

(e) 'Competent Authority' means an authority so appointed under these rules;

(ङ) 'सक्षम प्राधिकारी' से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन नियुक्त सक्षम प्राधिकारी;

(f) 'Notified Citizen Service', with its grammatical variations and cognate expressions, means a service so declared by the Competent Authority under these rules, and includes receiving application(s), petition(s) etc. (hereinafter referred to as 'application(s)') or / and collecting duly authorised taxes, charges, dues, or any other moneys payable, from persons interested in submitting the same to the appropriate Principal Office (hereinafter referred to as 'applicant(s)'), and issuing acknowledgments thereof; delivery to such applicants of print-outs on paper of any certificates, documents, permission etc. in electronic form, or of any other electronic communications received for consideration by or from the Principal Office or any office or functionary working on behalf of any subordinate office thereof; and performance of any other functions entrusted to a CHOiCE Agent;

(च) 'अधिसूचित नागरिक सेवा', उसके व्याकरणिक रूपभेदों एवं सजातीय पदों सहित, से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा 'अधिसूचित नागरिक सेवा' घोषित की गई सेवा, और इसके अंतर्गत आते हैं समुचित प्रधान कार्यालयों को प्रस्तुत करने को इच्छुक व्यक्तियों (जिन्हें एतस्मिन्पश्चात् 'आवेदक' कहा गया है) से आवेदन, याचिका, आदि (जिन्हें एतस्मिन्पश्चात् 'आवेदन' कहा गया है) प्राप्त करना, एवं / अथवा सम्यक् रूप से प्राधिकृत

कर, प्रभार, शोध्य राशियां, और कोई भी अन्य देय राशियां एकत्रित करना, और उनकी अभिस्वीकृतियां जारी करना; इलेक्ट्रॉनिक रूप में किन्हीं भी प्रमाण–पत्रों, दस्तावेजों, अनुज्ञाओं आदि की, या प्रधान कार्यालय या उसके किसी कार्यालय या उसके अधीनस्थ कार्यालय की ओर से कार्य करने वाले कर्मचारी द्वारा प्रधान कार्यालय के विचार हेतु अथवा उससे प्राप्त अन्य किन्हीं भी इलेक्ट्रॉनिक संसूचनाओं की, कागज पर छाप ऐसे आवेदकों को संदाय करना; अथवा चॉइस एजेंट को न्यस्त कोई भी अन्य कृत्य करना;

(g) 'Principal Office' means and includes any office, authority, body or agency owned or controlled by the State Government, or any office or establishment of self-government;

(छ) 'प्रधान कार्यालय' से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है राज्य शासन के स्वामित्व की या उसके नियंत्रणाधीन कोई भी कार्यालय, प्राधिकारी, निकाय या एजेंसी, अथवा स्थानीय शासन का कोई भी कार्यालय अथवा स्थापना;

(h) 'prescribed charge', with its grammatical variations and cognate expressions, means any duly authorised taxes, charges, dues or any other moneys payable by any person in relation to any Notified Citizen Services, which such CHO*i*CE Agent is authorised to collect under these rules, or under general or special orders of the State Government or the Competent Authority, and includes service charge;

(ज) 'विहित प्रभार', उसके व्याकरणिक रूपभेदों एवं सजातीय पदों सहित, से अभिप्रेत है किसी अधिसूचित नागरिक सेवा के संबंध में देय सम्यक् रूप से प्राधिकृत करों, प्रभारों, शोध्य राशियों, या अन्य किन्हीं भी राशियों, जिन्हें इन नियमों के अंतर्गत, अथवा राज्य शासन या सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेशों के अधीन, एकत्रित करने के लिए चॉइस एजेंट प्राधिकृत है, तथा इसमें सेवा प्रभार सम्मिलित है;

(i) 'prescribed computer resource', with its grammatical variations and cognate expressions, means the computer resource prescribed, whether generally or specifically, by the State Government or the Competent Authority, and for different purposes different computer resources may be prescribed;

(झ) 'विहित कम्प्यूटर संसाधन', उसके व्याकरणिक रूपभेदों एवं सजातीय पदों सहित, से अभिप्रेत है राज्य शासन या सक्षम प्राधिकारी द्वारा सामान्यतः या विशिष्टतः विहित कोई कम्प्यूटर संसाधन, तथा भिन्न प्रयोजनों के लिए भिन्न कम्प्यूटर संसाधन विहित किए जा सकते हैं;

(j) 'prescribed manner', with its grammatical variations and cognate expressions, means the manner prescribed, whether generally or specifically, by the State Government or the Competent Authority, and it also means any functionality, instruction, procedure, etc. built into or indicated by the prescribed computer resource; and

(ञ) 'विहित रीति', उसके व्याकरणिक रूपभेदों एवं सजातीय पदों सहित, से अभिप्रेत है राज्य शासन या सक्षम प्राधिकारी द्वारा सामान्यतः या विशिष्टतः विहित रीति, तथा इससे विहित कम्प्यूटर संसाधन में निर्मित या उसके द्वारा इंगित कोई भी कार्यविधि, अनुदेश, प्रक्रिया, आदि भी अभिप्रेत हैं; और

(k) 'service charge', with its grammatical variations and cognate expressions, means amount payable to CHOiCE Agent in lieu of services provided in accordance with the directions of the State Government or the Competent Authority.

(ट) 'सेवा प्रभार', उसके व्याकरणिक रूपभेदों एवं सजातीय पदों सहित, से अभिप्रेत है राज्य शासन या सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों के अनुरूप दी गई सेवा के एवज में चॅाइस एजेंट को देय राशि।

3. Competent Authority – appointment, delegation of powers

3. सक्षम प्राधिकारी – नियुक्ति, शक्तियों का प्रत्यायोजन

(1) State Government shall appoint a person not below the rank of Secretary to the State Government to perform the functions of, and to exercise the powers of, Competent Authority under these rules.

(1) राज्य शासन इन नियमों के तहत सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों को करने, तथा शक्तियों का प्रयोग करने, के लिए राज्य शासन के सचिव से अन्यून श्रेणी के व्यक्ति को नियुक्त करेगा।

(2) The Competent Authority may, by a general or special order, delegate any of the powers and functions vested in it to any subordinate officer.

(2) सक्षम प्राधिकारी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा उसमें वेष्ठित किन्हीं भी शक्तियों और कृत्यों को किसी अधीनस्थ अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

4. Powers and functions of the Competent Authority

4. सक्षम प्राधिकारी की शक्तियां और कृत्य

Competent authority shall be competent to:

सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित के लिए सक्षम होगा–

(a) Prescribe the manner of creation, of proper and secure custody, and of maintenance, safety and operation of prescribed computer resources, including designating any authority or agency for these purposes;

(क) समुचित कम्प्यूटर संसाधनों के सृजन, उचित व सुरक्षित अभिरक्षा, अनुरक्षण, क्षेम और प्रचालन की रीति विहित करना, जिसके अंतर्गत आता है किसी प्राधिकारी अथवा एजेन्सी को इन प्रयोजनों के लिए अभिहित करना;

(b) Issue, from time to time, directions for the proper and secure management of the prescribed computer resources and for giving effect to the setting up of a secure system;

(ख) समय–समय पर विहित कम्प्यूटर संसाधनों के उचित और सुरक्षित प्रबंधन के लिए, और एक सुरक्षित प्रणाली की स्थापना को प्रभावी करने के लिए, निर्देश जारी करना;

(c) Notify the Principal Office(s) on whose behalf the CHOiCE Agent shall be authorised to provide Notified Citizen Services and the services that may be provided through CHOiCE Centres;

(ग) उन प्रधान कार्यालयों को, जिनकी ओर से चॉइस एजेन्ट अधिसूचित नागरिक सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकृत होगा, और वे सेवाएं जो चॉइस केन्द्रों के मार्फत दी जा सकेंगी, को सूचित करना;

(d) Prescribe a procedure for appointing any person or body to function as a CHOiCE Agent, in addition to the procedure laid down in these rules;

(घ) किसी व्यक्ति अथवा निकाय को चॉइस एजेन्ट के रूप में कार्य करने के लिए इन नियमों में दी गई प्रक्रिया के अतिरिक्त प्रक्रिया विहित करना;

(e) Prescribe the form of an agreement which the CHOiCE Agent shall execute with the Collector to provide for the hours of functioning, location, etc. of CHOiCE Centres, as well as to indemnify the State Government and the Principal Offices against any loss or damage arising out of negligence, default or breach of conditions thereto on the part of the such Agent; and through such agreement also ensure sufficient security for any money received by such Agent on behalf of the Principal Office through sureties, insurances, bank guarantees, or in any other manner;

(ङ) चॉइस केन्द्रों के काम करने के घंटों, स्थान, आदि का उपबंध करने के लिए, और साथ ही चॉइस एजेंट की किसी लापरवाही अथवा अनुबंध की शर्तों में व्यतिक्रम या भंग से उद्भूत किसी हानि या क्षति के विरुद्ध राज्य शासन व प्रधान कार्यालयों को क्षतिपूरित करने के लिए, ऐसे एजेन्ट द्वारा कलेक्टर के साथ निष्पादित किया जाने हेतु एक अनुबंध विहित करना; और ऐसे अनुबंध के जरिए प्रतिभूओं, बीमाओं, बैंक गारंटियों, या अन्य किसी भी रीति में, ऐसे एजेन्ट द्वारा प्रधान कार्यालय की ओर से प्राप्त किसी धन की पर्याप्त प्रतिभूति भी सुनिश्चित करना;

(f) Prescribe minimum infrastructure required for the CHOiCE Centre in order to enable it to provide Notified Citizen Services;

(च) चॉइस केन्द्रों को अधिसूचित नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए समर्थ बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम अधोसंरचना विहित करना;

(g) Prescribe the procedure for the CHOiCE Agent to commence the functioning of the CHOiCE Centre; and

(छ) चॉइस एजेन्ट द्वारा चॉइस केन्द्र का कार्य प्रारंभ करने की प्रक्रिया विहित करना; और

(h) Issue, from time to time, directions regarding appointment of CHOiCE Agent, or any matter that it may consider necessary or expedient for effective and efficient provision of any Notified Citizen Service or for the effective functioning of the CHOiCE Centre.

(ज) समय–समय पर चॉइस एजेन्ट की नियुक्ति के संबंध में, अथवा अन्य ऐसे मामलों के संबंध में जिन्हें वह किसी अधिसूचित नागरिक सेवा के प्रभावी और कुशल उपबंध अथवा चॉइस केन्द्र के प्रभावी कार्य के लिए आवश्यक या समीचीन समझे, निर्देश जारी करना;

5. Notified Citizen Service

5. अधिसूचित नागरिक सेवा

The Competent Authority may, by public notice, not being a service relating to the provisions of sub-section (4) of section 1 of the Act, declare any service or class of services, to be a Notified Citizen Service for purposes of these rules.

सक्षम प्राधिकारी सार्वजनिक सूचना के जरिए ऐसी किसी भी सेवा अथवा सेवाओं की श्रेणी, जो अधिनियम की धारा 1 की उप–धारा (4) के उपबंधों से सबंधित सेवा न हो, को इन नियमों के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित नागरिक सेवा घोषित कर सकेगा।

6. Eligibility for appointment as CHOiCE Agent

6. चॉइस एजेन्ट के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता

(1) Every person eligible for appointment as CHOiCE Agent shall have passed the Senior Secondary School-leaving Certificate Examination in the minimum, shall have basic knowledge of computers, and shall be capable of furnishing sufficient security by way of sureties, insurances, bank guarantees, or in any other manner, to the satisfaction of the Collector.

(1) चॉइस एजेन्ट के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह प्रत्येक व्यक्ति कम से कम उच्चतर माध्यमिक शाला–त्यागी प्रमाण–पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होगा, कम्प्यूटरों का बुनियादी ज्ञान रखने वाला होगा, और प्रतिभूओं, बीमाओं, बैंक गारंटियों, या अन्य किसी भी तरीके से, कलेक्टर की संतुष्टि अनुरूप पर्याप्त सुरक्षा प्रस्तुत करने में सक्षम होगा।

(2) No person shall be eligible for appointment as a CHOiCE Agent if he does not bear a good moral character or has been convicted for any penal offence.

(2) कोई व्यक्ति चॉइस एजेन्ट के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा यदि वह अच्छे सदाचारिक चरित्र का न हो या किसी दंडनीय अपराध के लिए सिद्धदोष किया जा चुका हो।

(3) Nothing contained in sub-rule (1) of this Rule, or in Rule 7 of these rules, shall apply in relation to a CHOiCE Centre authorised by a Principal Office which is established in its premises, and operated by its employees; and such employees, as may be duly

authorised by the Principal Office from time to time in this connection, shall be deemed to have been appointed as CHOiCE Agent(s) for the purposes of these rules.

(3) इस नियम के उप–नियम (1), अथवा इन नियमों के नियम 7, में अंतर्विष्ट कोई भी बात प्रधान कार्यालय द्वारा प्राधिकृत चॉइस केन्द्र को लागू नहीं होगी जो उसके परिसर में स्थापित हो, तथा उसके कर्मचारी द्वारा प्रचालित हो; और ऐसे कर्मचारी, जो समय–समय पर प्रधान कार्यालय द्वारा इस संबंध में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किए जाएं, इन नियमों के प्रयोजनों के लिए चॉइस एजेन्ट के रूप में नियुक्त किए गए समझे जाएंगे।

7. Appointment of CHOiCE Agent

7. चॉइस एजेन्ट की नियुक्ति

(1) The Collector shall invite interested persons satisfying the conditions of eligibility under these rules to submit application in the proforma prescribed by the notice inviting the applications for appointment as CHOiCE Agent.

(1) कलेक्टर इन नियमों के तहत अर्हता की शर्तों को पूरा करने वाले इच्छुक व्यक्तियों को आवेदन आमंत्रण सूचना द्वारा विहित प्रपत्र में चॉइस एजेंट के रूप में नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करेगा।

(2) The Collector shall appoint the CHOiCE Agent on the basis of the recommendations made by a committee to be appointed by the Competent Authority.

(2) कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर चॉइस एजेंट को नियुक्त करेगा।

(3) In making the appointment, the Collector shall take into consideration the absolute and relative assessments of the applicants regarding financial adequacy, including ability to mobilise the required financial resources from any source, and the overall requirement for Notified Citizen Services in an area.

(3) नियुक्ति करने में कलेक्टर आवेदकों की वित्तीय यथेष्टता, जिसमें किसी भी स्रोत से अपेक्षित वित्तीय संसाधनों को जुटाने का सामर्थ्य सम्मिलित है, और एक क्षेत्र में अधिसूचित नागरिक सेवाओं की कुल मिला कर जरूरत के निरपेक्ष और सापेक्ष आंकलनों को विचार में लेगा।

(4) The Collector shall make an order of appointment as Authorised Citizen Services Agent, elsewhere in these rules referred to as 'CHOiCE Agent', in the form prescribed by the Competent Authority.

(4) कलेक्टर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में प्राधिकृत नागरिक सेवा एजेंट, जिसे इन नियमों में अन्यत्र 'चॉइस एजेंट' कहा गया है, के रूप में नियुक्ति का आदेश देगा।

(5) The appointed CHOiCE Agent shall execute an agreement in the form prescribed by the Competent Authority before commencing the functioning of a CHOiCE Centre.

(5) नियुक्त किया गया चॉइस एजेंट सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में चॉइस केन्द्र का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व अनुबंध निष्पादित करेगा।

(6) The appointed CHOiCE Agent shall ordinarily operate the CHOiCE Centre from the place indicated by him in his application, and no change of location of the CHOiCE Centre shall be made without prior written permission of the Collector.

(6) नियुक्त किया गया चॉइस एजेंट साधारणतः उसके आवेदन में इंगित स्थान से चॉइस केन्द्र प्रचालित करेगा, तथा कलेक्टर की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना चॉइस केन्द्र के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

8. Powers of the Collector

8. कलेक्टर की शक्तियां

(1) The Collector shall be competent to inspect or to cause to be inspected any CHOiCE Centre, and to call for records or information therefrom; and to issue directions to the CHOiCE Agent, or to suspend the appointment of such an Agent in case of being satisfied that any irregularity has been, or is likely to be, committed, and that it is necessary to issue such directions or to suspend such appointment in the interest of providing Notified Citizen Services.

Provided that no such direction shall be given nor order of suspension of appointment be made without recording the reasons therefor; and, within seven days of such direction or order of suspension, the same shall be communicated to the Competent Authority.

(1) कलेक्टर सक्षम होगा कि किसी भी चॉइस केन्द्र का निरीक्षण करे अथवा कराए, और उनसे अभिलेख या जानकारी मंगाए; और, यदि उसे समाधान हो कि कोई अनियमितता की गई है, अथवा होना संभाव्य है, और अधिसूचित नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने के हित में चॉइस एजेंट को निर्देश जारी करने अथवा उसकी नियुक्ति निलंबित करने की आवश्यकता है, तो वह ऐसे चॉइस एजेंट को निर्देश जारी करने अथवा ऐसे एजेंट की नियुक्ति निलंबित करने के लिए भी सक्षम होगा।

परंतु ऐसा कोई निर्देश अथवा नियुक्ति को निलंबित करने वाला आदेश कारणों को अभिलिखित किए बिना नहीं दिया जाएगा; और, ऐसे निर्देश अथवा निलंबन का आदेश सात दिवस के भीतर सक्षम प्राधिकारी को सूचित किया जाएगा।

(2) The Collector shall be competent to terminate the appointment of a CHOiCE Agent on being satisfied that he has defaulted in the performance of any condition of the agreement or has failed to meet any condition of eligibility under these rules, or has failed to comply with any directions issued.

Provided that no such orders terminating appointment of such Agent shall be made without giving him a reasonable opportunity of being heard.

(2) इस बात का समाधान होने पर कि चॉइस एजेंट ने अनुबंध की किसी शर्त के पालन में व्यतिक्रम किया है, अथवा इन नियमों के तहत अर्हता की किसी शर्त को पूरा करने में असफल रहा है, अथवा जारी किन्हीं निर्देशों के पालन में असफल रहा है, कलेक्टर ऐसे चॉइस एजेंट की नियुक्ति समाप्त करने के लिए सक्षम होगा।

पंरतु ऐसे एजेंट की नियुक्ति समाप्त करने का कोई आदेश उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना नहीं किया जाएगा।

9. CHOiCE Agent to be a public servant

9. चॉइस एजेन्ट का लोक सेवक होना

Every CHOiCE Agent shall be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (No. XLV of 1860).

प्रत्येक चॉइस एजेंट भारतीय दण्ड सहिंता (सन् 1860 का क्रमांक 45) की धारा 21 के अभिप्राय में एक लोक सेवक होगा।

10. Liabilities of CHOiCE Agent

10. चॉइस एजेंट की देयताएं

(1) CHOiCE Agent shall be deemed to have indemnified the State Government, any of its authorities, and the Principal Offices, against all liability for any loss or damage sustained by any person, including public bodies or any other public servant, arising out of, or consequential to, any failure on the part of such Agent to carry out any instruction(s), observance of any of these rule(s) or compliance with any direction(s), or any default in performance of legal obligations under these rules, whether by him or by any person working at his behest, regardless of whether such person is in his employ or not.

(1) चॉइस एजेंट द्वारा किन्हीं अनुदेशों के क्रियान्वयन, इन नियमों में से किसी नियम के पालन या किंन्हीं निर्देशों के अनुपालन की कोई असफलता, अथवा इन नियमों के अधीन विधिमान्य बाध्यताओं के पालन में किसी व्यतिक्रम, चाहे स्वयं उसके द्वारा अथवा उसके आदेशानुसार कार्य कर रहे किसी व्यक्ति द्वारा, चाहे ऐसा व्यक्ति उसके नियोजन में हो अथवा नहीं, से उद्भूत अथवा परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक निकाय अथवा कोई अन्य लोक सेवक भी आते हैं, को हुई किसी हानि या नुकसान की सभी देयता के विरुद्ध ऐसे चॉइस एजेंट द्वारा राज्य शासन, उसके किन्हीं भी प्राधिकारियों, और प्रधान कार्यालयों, को क्षतिपूरित किया हुआ समझा जाएगा।

(2) CHOiCE Agent shall be responsible for maintenance and safe custody of all records received, created or maintained by him electronically or otherwise, for purposes of these rules or under the instructions of the Appropriate Authority; and, in the event of

suspension or termination of his appointment, such Agent shall deposit all such records with the Collector in the prescribed manner.

(2) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए अथवा समुचित प्राधिकारी के अनुदेशों के अधीन चॉइस एजेंट द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा प्राप्त, सृजित अथवा अनुरक्षित सभी अभिलेखों का अनुरक्षण और उनकी सुरक्षित अभिरक्षा ऐसे एजेंट का उत्तरदायित्व होगा; और, उसकी नियुक्ति के निलबंन अथवा समापन की दशा में ऐसा एजेंट ऐसे सभी अभिलेखों को कलेक्टर के पास विहित रीति मे जमा करेगा।

(3) CHOiCE Agent shall be responsible for maintaining accounts, as well as for depositing in prescribed manner prescribed charges collected by him, after retaining service charges payable to him.

(3) चॉइस एजेंट उसके द्वारा एकत्रित विहित प्रभारों का लेखा रखने के लिए, और उसे देय सेवा प्रभारों को प्रतिधारित करने के बाद उन्हें विहित रीति में जमा कराने के लिए, उत्तरदायी होगा।

(4) CHOiCE Agent shall be responsible for any loss, inconvenience, damage or liability arising out of any negligence, mischief or undue delay in providing service, or as a consequence of accepting or transmitting fake, forged or false document or information to the Appropriate Authority or to any applicant for any Notified Citizen Service.

(4) समुचित प्राधिकारी अथवा किसी भी अधिसूचित नागरिक सेवा के किसी भी आवेदक को सेवा प्रदाय करते में किसी लापरवाही, रिष्टि अथवा अनुचित विलंब से उद्भूत, या नकली, कूटरचित अथवा मिथ्या दस्तावेज या जानकारी स्वीकार करने अथवा प्रेषित करने के परिणामस्वरूप, किसी हानि, असुविधा, क्षति या देयता के लिए चॉइस एजेंट उत्तरदायी होगा।

11. Presumption with regard to prescribed charges paid to CHOiCE Agent

11. चॉइस एजेंट को दिए गए विहित प्रभारों के संबंध में उपधारणा

In case of any prescribed charges, including service charge, paid by any person to a CHOiCE Agent in respect of any Notified Citizen Service, the print-out on paper of the electronic acknowledgment generated by the prescribed computer resource, signed and provided to such person by the such Agent shall, *prima facie,* be proof of such payment and it shall be presumed that the dues or claims, for which the acknowledgment is purportedly issued, have been satisfied to that extent; however, mere payment by itself shall not create any right, title, condonation of delay, extension in the period limitation, or relaxation in favour of such person, for which he is not otherwise entitled.

किसी व्यक्ति द्वारा किसी अधिसूचित नागरिक सेवा के संबंध में चॉइस एजेंट को दिए गए किन्हीं विहित प्रभारों, जिसके अंतर्गत सेवा प्रभार भी आता है, के मामले में विहित कम्प्यूटर संसाधन द्वारा प्रजनित इलेक्ट्रॉनिक अभिस्वीकृति की कागज पर छाप, जो ऐसे व्यक्ति को ऐसे एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित कर दी गई हो, प्रथमदृष्ट्या, ऐसे भुगतान का सबूत होगी, और यह उपधारणा की जायेगी वे देयक या दावे, जिनके लिये अभिस्वीकृति जारी होना तात्पर्यित थी, उस सीमा तक संतुष्ट हो चुके हैं; तथापि, केवल भुगतान अपने आप मे ऐसा कोई अधिकार, स्वत्व, विलंब की माफी,

परिसीमा–काल काल का विस्तारण, अथवा ऐसे व्यक्ति के पक्ष में छूट सृजित नही करेगा, जिसके लिये वह अन्यथा हकदार न हो।

12. Functions of CHOiCE Agent

12. चॉइस एजेंट के कृत्य

The CHOiCE Agent shall be competent and responsible for the performance of the following functions:

चॉइस एजेंट निंम्नलिखित कृत्यों को करने के लिये सक्षम और उत्तरदायी होगा–

(a) receiving any application for availing Notified Citizen Services as well as any prescribed charges from such applicant for services being provided to them, and to issue acknowledgment for the same; and

(क) अधिसूचित नागरिक सेवाओं का उपयोग करने के लिये आवेदन और साथ ही दी जा रही सेवाओं के लिये ऐसे आवेदक से कोई विहित प्रभार प्राप्त करना, और उसके लिये अभिस्वीकृति जारी करना; और

(b) delivering to the applicant, or his duly authorised representative, in person or through post or courier, paper print-outs of electronic records from prescribed computer resource after verifying the digital signatures of the Appropriate Authority and, further, signing such paper print-outs in token of such verification and of the paper print-out representing correctly the information contained in such electronic record.

(ख) विहित कम्प्यूटर संसाधन से इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर समुचित प्राधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षरों के सत्यापन के बाद कागज पर उनकी छाप ले कर और, आगे, ऐसी छाप पर ऐसे सत्यापन और कागज पर ली गई छाप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में अन्तर्निहित जानकारी का सही रूपण होने के प्रमाणसूचक हस्ताक्षर कर आवेदक, अथवा उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि, को व्यक्तिशः, अथवा डाक या कोरियर के जरिए, उसका संदाय करना।

13. Procedure to be followed by the CHOiCE Agent and the Appropriate Authority

13. चॉइस एजेंट और समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया

The CHOiCE Agent shall follow the following procedure:

चॉइस एजेंट निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा–

(a) On payment of prescribed charges, including service charge, the CHOiCE Agent shall feed into the prescribed computer resource, and in the prescribed manner, the information provided by any person (including the electronic copies of any documents presented by the applicant in support of his application) seeking to avail of any Notified Citizen Service which such Agent is authorised to provide.

(क) विहित प्रभारों, जिनमें सेवा प्रभार सम्मिलित है, के भुगतान पर चॉइस एजेंट विहित कम्प्यूटर संसाधन में किसी अधिसूचित नागरिक सेवा, जिसे ऐसा एजेंट उपलब्ध कराने के लिये प्राधिकृत है, का उपयोग करने को इच्छुक किसी व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी (उसके आवेदन के समर्थन में आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियों सहित) को विहित रीति में प्रवेशित करेगा।

(b) The information so fed shall be represented in the form of an electronic record which would include a declaration by the applicant as to the correctness of information provided and the genuineness of documents presented in support of his application and his indemnifying the CHOiCE Agent and the Appropriate Authority from liability in the event of the information being found to be false or the document being found to be not genuine or correct.

(ख) ऐसी प्रवेशित जानकारी एक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में रूपित की जायेगी जिसमें आवेदक द्वारा दी गई जानकारी सही होने और उसके आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज वास्तविक होने, तथा जानकारी झूठी पाए जाने अथवा दस्तावेज वास्तविक या सही नहीं पाए जाने की दशा में देयता से उसके द्वारा चॉइस एजेंट और समुचित प्राधिकारी को क्षतिपूरित करने की घोषणा संम्मिलित होगी।

(c) Such electronic record shall be in the nature of an application addressed to the Appropriate Authority through the CHOiCE Agent concerned, and shall be printed out on paper in two copies by such Agent, who shall provide the copies to the applicant.

(ग) ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख संबंधित चॉइस एजेंट के मार्फत समुचित प्रधिकारी को संबोधित एक आवेदन की प्रकृति का होगा, और ऐसे एजेंट द्वारा कागज पर दो प्रतियों में छापा जायेगा जिसे वह आवेदक को उपलब्ध कराएगा।

(d) The applicant, after satisfying himself as to the correctness of the documents, shall authenticate the same with his signature or thumb impression on both the copies and shall keep one copy for himself, while handing over the other copy to the CHOiCE Agent, who shall keep it in safe custody and shall provide the same if and whenever called upon to do so by the Competent Authority, the Appropriate Authority or the Collector.

(घ) आवेदक अपने आप को दस्तावेजों की सत्यता के बारे में संतुष्ट करने के बाद दोनों प्रतियों को अपने हस्ताक्षर या अंगूठा निशान से अधिप्रमाणित करेगा और एक प्रति को स्वयं रखेगा व अन्य प्रति चॉइस एजेंट को देगा, जो उसे सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा और, यदि और जब कभी सक्षम प्राधिकारी, समुचित प्राधिकारी या कलेक्टर उसे उपलब्ध कराने की अपेक्षा करें, उसे उपलब्ध कराएगा।

(e) The CHOiCE Agent shall affix his digital signatures on the electronic record of the application, coupled with the electronic copies of the documents presented in support

thereof, and shall store the same on the prescribed computer resource in the prescribed manner.

(ङ) चॉइस एजेंट आवेदन के इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, जो आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियों से युग्मित होगा, पर अपने डिजिटल हस्ताक्षर करेगा और उसे विहित रीति में विहित कम्प्यूटर संसाधन पर संचित करेगा।

(f) On storage of the the electronic record of the application on the prescribed computre resource, an electronic acknowledgment shall be generated by such resource containing an application reference number with the help of which the applicant may inquire about the status concerning the decision on his application.

(च) आवेदन का इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख विहित कम्प्यूटर संसाधन पर संचित होने पर ऐसे संसाधन द्वारा एक इलक्ट्रॉनिक अभिस्वीकृति प्रजनित की जाएगी जिसमें एक आवेदन संदर्भ अंक अन्तर्निहित होगा जिसकी सहायता से आवेदक उसके आवेदन के निर्णय के संबंध में अवस्था के बारे में पूछताछ कर सकेगा।

(g) The CHOiCE Agent shall take a print-out on paper of such acknowledgment and shall give the same to the applicant after affixing his signature and the date in token of the print-out on paper being a true representation of the information contained in the acknowledgment.

(छ) चॉइस एजेंट ऐसी अभिस्वीकृति की कागज पर छाप लेगा और, अभिस्वीकृति में अन्तर्निहित जानकारी कागज पर ली गई छाप का सत्य रूपण होने प्रतीकस्वरूप तिथि सहित हस्ताक्षर कर, उसे आवेदक को देगा।

(h) Appropriate Authority shall cause a print-out on paper of the information contained in aforesaid electronic record of such application to be taken while (i) causing to verify the digital signature of the CHOiCE Agent, and (ii) causing to compare and authenticate the information contained in the paper print-out with that in the verified electronic record.

(ज) समुचित प्राधिकारी ऐसे आवेदन के पूर्वोक्त इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में अन्तर्निहित जानकारी की कागज पर छाप लिया जाना (एक) चॉइस एजेंट के डिजिटल हस्ताक्षर का सत्यापन कारित कराते हुए, और (दो) कागज पर ली गई छाप में अन्तर्निहित जानकारी की तुलना सत्यापित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से की जा कर अधिप्रमाणित होना कारित कराते हुए, कारित कराएगा।

(i) The Appropriate Authority, after such inquiry or calling for reports etc. as it deems fit, shall record its decision in electronic form on the prescribed computer resource in the prescribed manner, whereupon the appropriate document in respect of the service applied for shall be generated as an electronic record by the prescribed computer resource which the Appropriate Authority shall authenticate by affixing its digital signature, and shall store the authenticated electronic record on the prescribed computer resource in the prescribed manner.

(झ) समुचित प्राधिकारी, ऐसी जांच या रिपोर्ट बुलाने आदि के बाद जैसी वह आवश्यक समझे, अपना विनिश्चय विहित रीति में विहित कम्प्यूटर संसाधन में इलेक्ट्रॉनिक रूप में अभिलिखित करेगा, जिसके बाद आवेदित सेवा के संबंध में समुचित दस्तावेज एक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में विहित कम्प्यूटर संसाधन से प्रजनित होगा जिसे समुचित प्राधिकारी अपने डिजिटल हस्ताक्षरों से अधिप्रमाणित करेगा, और विहित कम्प्यूटर संसाधन पर विहित रीति में अधिप्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख संचित करेगा।

(j) The Appropriate Authority shall cause a print-out on paper of the electronic record of the aforesaid appropriate document to be taken, shall affix its signature(s) thereon with date, and shall cause it to be included in the record relating to the application.

(ञ) समुचित प्राधिकारी पूर्वोक्त समुचित दस्तावेज के इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की कागज पर छाप लेना कारित करेगा, उस पर दिनांक सहित हस्ताक्षर करेगा, और उसे आवेदन से संबंधित अभिलेख में सम्मिलित होना कारित करेगा।

(k) The acknowledgment generated at the time of submitting the application shall ordinarily indicate the date on which, or the period after which, the decision on the application and the aforesaid appropriate document would ordinarily be available on the prescribed computer resource as an electronic record.

(ट) आवेदन जमा करते समय प्रजनित अभिस्वीकृति साधारणतः वह तिथि इंगित करेगी जिस पर, या वह अवधि जिसके बाद, आवेदन पर विनिश्चय और पूर्वोक्त समुचित दस्तावेज साधारणतः विहित कम्प्यूटर संसाधन पर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में उपलब्ध होंगे।

(l) Upon decision on his application, the applicant may approach the CHO*i*CE Agent, who shall take a print-out on paper in the prescribed manner from the prescribed computer resource the aforesaid appropriate document in electronic form duly authenticated by the digital signature of the Appropriate Authority.

(ठ) आवेदन पर विनिश्चय होने के बाद आवेदक चॉइस एजेंट के पास जा सकेगा और ऐसा एजेंट समुचित प्राधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक रूप के पूर्वोक्त समुचित दस्तावेज की विहित कम्प्यूटर संसाधन से विहित रीति में कागज पर छाप लेगा।

(m) Nothing in clauses (h) to (l) shall apply in cases of Notified Citizen Services where the information or document sought by the applicant is already available to the CHO*i*CE Agent on the prescribed computer resource duly authenticated by the digital signature of the Appropriate Authority, and, in such cases, the CHO*i*CE Agent shall proceed to print-out on paper in the prescribed manner the desired information or document available on the prescribed computer resource in electronic form.

(ड) खण्ड (ज) लगायत (ठ) में की कोई भी बात अधिसूचित नागरिक सेवाओं के उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी या दस्तावेज पहले से ही चॉइस एजेंट को समुचित प्राधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित हो कर

विहित कम्प्यूटर संसाधन पर उपलब्ध हो, और, ऐसे मामलों में, चॉइस एजेंट विहित कम्प्यूटर संसाधन पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध वांछित जानकारी या दस्तावेज की विहित रीति में कागज पर छाप लेने को अग्रसर होगा।

(n) Nothing in clauses (b) to (e) or in clauses (h) to (l) shall apply in cases of Notified Citizen Services where the information or document sought by the applicant is already available to the CHOiCE Agent on the prescribed computer resource duly authenticated by the digital signature of the Appropriate Authority, and, in such cases, the CHOiCE Agent shall proceed to print-out on paper in the prescribed manner the desired information or document available on the prescribed computer resource in electronic form.

(ढ) खण्ड (ख) लगायत (ङ) में की अथवा खण्ड (ज) लगायत (ठ) में की कोई भी बात अधिसूचित नागरिक सेवाओं के उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी या दस्तावेज पहले से ही चॉइस एजेंट को समुचित प्राधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित हो कर विहित कम्प्यूटर संसाधन पर उपलब्ध हो, और, ऐसे मामलों में, चॉइस एजेंट विहित कम्प्यूटर संसाधन पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध वांछित जानकारी या दस्तावेज की विहित रीति में कागज पर छाप लेने को अग्रसर होगा।

(o) The CHOiCE Agent shall affix his signature with date on each page of the document so printed out in token of certification to the effect that the electronic record of the aforesaid appropriate document had been verified by him to have been authenticated by the digital signature of the Appropriate Authority and that the document represents the information contained in such electronic record, and shall provide the document so signed to the applicant.

(ण) पूर्वोक्त समुचित दस्तावेज के इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर समुचित प्राधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित होने का सत्यापन चॉइस एजेंट द्वारा किये जाने, और कागज पर ली गई छाप वाला दस्तावेज ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में अन्तर्निहित जानकारी का सही रूपण होने, के प्रमाणीकरण के प्रतीकस्वरूप चॉइस एजेंट ऐसी छाप वाले दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर तिथि सहित हस्ताक्षर करेगा, और ऐसे हस्ताक्षरित दस्तावेज को आवेदक को देगा।

(p) The Competent Authority or the State Government may prescribe procedure to be followed by an Appropriate Authority for accepting any information, returns, statements, records, etc. in electronic form from any person who is required under law to furnish the same, and may further prescribe the manner of retaining the same on a prescribed computer resource as well as the manner of authentication of the same by the Appropriate Authority.

(त) सक्षम प्राधिकारी अथवा राज्य शासन विधि के अधीन प्रस्तुत करने के दायित्वाधीन किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी, विवरणियों, विवरणों, अभिलेखों, आदि को समुचित प्राधिकारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वीकार करने के लिये समुचित प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया विहित कर सकेंगे, और उन्हें एक विहित कम्प्यूटर संसाधन पर संचित करने की रीति, और समुचित प्राधिकारी द्वारा उन्हें अधिप्रमाणित करने की रीति, भी विहित कर सकेंगे।

(q) The State Government may prescribe procedure, in addition to the procedure indicated in these rules, in respect of any particular Notified Citizen Service, or class of such Services.

(थ) राज्य शासन, इन नियमों में इंगित प्रक्रिया के अतिरिक्त, किसी विशिष्ट अधिसूचित नागरिक सेवा, अथवा ऐसी सेवाओं की श्रेणी, के संबंध में प्रक्रिया विहित कर सकेगा।

14. Appeals against orders, directions, etc. of Collector

14. कलेक्टर के आदेशों, निर्देशों, आदि के विरुद्ध अपील

Any person(s) aggrieved by any order(s), direction(s), etc. of Collector under these rules may appeal before the Competent Authority within thirty days of the date of knowledge of such order, direction, etc. in the prescribed manner.

इन नियमों के अधीन कलेक्टर के किसी आदेश, निर्देश, आदि से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश, निर्देश, आदि की जानकारी की तिथि से तीस दिवस के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विहित रीति में अपील प्रस्तुत कर सकता है।

15. Disputes regarding financial claims etc. of the CHOiCE Agent

15. चॉइस एजेंट के वित्तीय दावों आदि के संबंध में विवाद

Collector shall be competent to decide any dispute regarding financial claims or liabilities of the CHOiCE Agent, or to settle questions regarding apportionment of service charges from out of prescribed charges, or to settle accounts in respect of CHOiCE Centres.

चॉइस एजेंट के वित्तीय दावों अथवा देयताओं के संबंध में किसी भी विवाद का फैसला करने, अथवा विहित प्रभारों में से सेवा प्रभारों के प्रभाजन के संबंध में प्रश्नों को तय करने, अथवा चॉइस केन्द्रों के संबंध में लेखाओं का परिनिर्धारण कारित करने के लिये सक्षम होगा।

16. Miscellaneous

16. प्रकीर्ण

Nothing shall prevent an aggrieved person from seeking redress or compensation under any other law from the CHOiCE Agent as regards any loss or damage caused by any act or omission of such Agent.

कोई भी बात चॉइस एजेंट के किसी कार्य अथवा लोप द्वारा कारित किसी हानि अथवा क्षति के संबंध में किसी व्यथित व्यक्ति को ऐसे एजेंट से किसी अन्य विधि के तहत प्रतितोष या क्षतिपूर्ति चाहने से निवारित नहीं करेगी।